मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री भुही राम सैकिया): (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के सम्पूर्ण विकास के लिए दिशा-निर्देश हेतु विस्तृत कार्य ढांचा और इसके विभिन्न प्रस्तावों के आयोजन, कार्यान्वयन और निधियन के लिए विशेष जिम्मेदारियों को निर्धारित करने वाली कार्य योजना का प्रावधान है। कार्य ढांचा अभी भी प्रासंगिक है। तथापि, कार्यान्वयन के दौरान हुए अनुभव और अन्य विकासों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-92 के दौरान आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षा समिति (एन.पी.ई.आर.सी.) और एन. जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में नीति पर गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) समिति द्वारा वर्तमान नीति की समीक्षा की गई। तदनुसार, संशोधित नीति निर्धारणों और संशोधित कार्य योजना 1992 को क्रमश: 7 मई, 1992 और 19 अगस्त, 1992 को सदन के सभा पटल पर रखा गया था। अब कार्यान्वयन तथा शिक्षा के लिए संसाधनों को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

Budgetary allocations for Higher Education

879. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the budgetary allocations for higher education in 1995-96; 1996-97

(b) the budget for university education in 1996-97;

(c) whether it is a fact that budgetary support for university education has declined in real terms in the last two years; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Rs. 245.05 crores.

(b) Rs. 238.39 crores.

(c) No, Sir. The financial cutlays of UGC for development of higher education in the 8th Plan substantially higher than the grants actually provided to UGC for the purpose during the 7th Plan.

(d) Does not arise.

Transfer of forest land for industrial sector

880. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of ENVIRONMENTAND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there was a great demand to transfer forest land for the industrial sector;

(b) whether the proposal to transfer the degraded forest land for industrial purpose is under consideration of Government;

(c) if so, the total forest land in different States proposed to be handed over to the industrial sector; and

(d) the steps taken in that direction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Proposal for diversion of forest land for any non-forestry purposes, including industrial uses, are considered on merits as per provisions contained in the Forest (Conservation) Act, 1980 and Rules. Presently there is no specific proposal as such to transfer degraded forest land to the industrial sector.

Report on Konkan Railway Project

881. PROF. RAM KAPSE:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received the report of the Committee of Members of Parliament regarding various aspects of Konkan Railway;

(b) if so, the findings of the Committee; and

(c) the action taken/proposed to be taken on the findings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c)Yes, Sir. The Committee of MPs has since submitted their report. They

report. They have commented on various aspects of Konkan Railway Corporation including Contract Management. They have suggested improvements in the working of the system and the award of tenders only in the most open manner. Their recommendations have been accepted, and Konkan Railway Corporation has been advised to follow the same for all future works.

मध्य प्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

882. श्री अजीत जोगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बना दिया गया है;

(ख) विद्यार्थियों की कुशलता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं;

(ग) क्या उन विद्यालयों को जिनमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किये गए हैं, प्रशिक्षित प्रशिक्षक तथा आवश्यक अध्यापन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा-विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 30 स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए वर्ष 1993-94 में मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। तथापि, राज्य द्वारा अभी तक यह कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने इन स्कूलों में नौ पाठ्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसकी सूची विवरण में है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए अनिवार्य उपस्कर और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, पाठ्यचर्या और शैक्षणिक सामग्री के विकास के लिए, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण और प्रबोधन के लिए तथा शिक्षकों के वेतन के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में माध्यमिक स्कूलों में प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची

1. घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव
2. स्कूटर और मोटर साइकिल की मरम्मत और रख-रखाव
3. सामुदायिक कार्य और सामाजिक सेवा
4. इलैक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी
5. मौलिक कार्यालय प्रक्रिया
6. मौलिक बुक कीपिंग
7. सामान्य बागवानी
8. लेखा शास्त्र
9. वृक्ष पोषण सामाजिक कृषि वानिकी

मध्य प्रदेश में साक्षरता अभियान

883. श्री राघवजी : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में साक्षरता अभियान पर खर्च की गई कुल धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) ऐसे अभियानों की सहायता से प्रत्येक जिलें में कितने व्यक्ति साक्षर हो गए है,

(ग) मार्च, 1997 तक प्रत्येक जिले में अभी और कितनी धनराशि व्यय की जानी है, और

(घ) क्या इस धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत जो अनुदान दिए जाते हैं उनका उपयोग संपूर्ण परियोजना अवधि तक पूरा करना होता है। सामान्य-तौर पर एक परियोजना की संपूर्ण अवधि 14 से 18 महीने तक की होती है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।